International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2,February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

महिला सशक्तिकरण एवं मानवा धकार : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 मनीष कुमार
एम0 ए0, (गोल्ड मेड्लिस्ट)
नेट, पी0-एच0 डी0
स्माजशास्त्र विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना

सारां शका

भारतीय समाज में दीर्घ काल से ही स्त्रियों को हा शए पर धकेला गया है तथा अ धकारों से वं चत करते हुए सामाजिक बहिष्करण का शकार बनाया जाता रहा है , परंतु आधुनिक समतावादी वचारों एवं महिलाओं द्वारा अपने अ धकारों के प्रति चेतना के कारण महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास कया गया है तथा उनके सर्व उन्मुख वकास को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन हेतु योजनाएं बनाई गई हैं | महिलाओं के अ धकार को एक मानवा धकार मानते हुए उन्हें स्वतंत्र जीवन से संबं धत सभी अ धकार तत्काल दिए जाने का समर्थन समतावादी वचारधारा तथा तर्कशील वचारधारा करती है एवं उन्हें यह अ धकार दिलाने के लए प्रयासरत है | महिलाओं को कानूनी अ धकार दिलाने के लए संवैधानिक प्रयासों द्वारा उप उपबंध कए गए हैं साथ ही पतृसत्तात्मक अ भव्यक्ति को समाप्त करने तथा समता युक्त सामाजिक पर्यावरण के निर्माण हेतु सामाजिक जागरूकता का प्रयास कया जा है | महिलाओं के अ धकार को मानवा धकार के रूप में स्वीकृत करने हेतु अनेक महिला संगठनों व समाजसे वयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है |

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधकर्ता द्वारा महिलाओं के अ धकार को मानवा धकार के रूप में देखते हुए उनके सशक्तिकरण को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परी क्षत एवं मूल्यां कत करने का प्रयास कया गया है , जिसमें संवैधानिक प्रयास एवं सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से कए जाने वाले अन्य प्रयासों पर वशेष ध्यान दिया गया है |

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधान, मानवा धकार, शोषण एवं उत्पीड़न, पतृसत्ता.

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2,February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रस्तावना

वर्तमान समय में सरकारों एवं समाज द्वारा महिलाओं के अ धकार को मानवा धकार के रूप में स्वीकार कया जा रहा है तथा महिलाओं को समता के आधार पर संपूर्ण मानवीय अ धकारों को देने का प्रयास कया जा रहा है , परंतु महिलाओं के अ धकार को मानवा धकार के रूप में स्वीकार कए जाने से पहले महिलाओं के उत्पीड़न एवं शोषण का एक लंबा इतिहास रहा है | निजी संपत्ति के उदय काल से ही महिलाओं का पराभव एवं अधीनीकरण की प्र क्रया शुरू हो गई थी | पतृसत्तात्मक मान सकता एवं मनुवादी वैचारि की रखने वाले लोगों द्वारा सत्ता शक्ति संपत्ति एवं संसाधनों आदि से स्त्रियों को क्रमबद्ध रूप से वं चत कया गया और ऐसी व्यवस्था बनाई गई क वह हमेशा पुरुषों की दासता की स्थिति में जीवन व्यतीत करें | भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में धा र्मक व ध वधान एवं प्रावधानों द्वारा ही सामाजिक, आ र्थक, राजनीतिक, धा र्मक, सांस्कृतिक समस्त जीवन के पहलुओं का नियंत्रण एवं संचालन होता था | यह धा र्मक व ध- वधान व प्रावधान मनुस्मृति से प्रभा वत थे जो एक पतृसत्ता वादी समाज की संरचना एवं व्यवस्था स्था पत करता था, जिस में स्त्रियों को संपत्ति एवं पुरुषों की एक दास की स्थिति में रखने का प्रावधान था | स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के साथ –साथ स्त्रियों को भी कानूनी समानता, समता एवं अ धकार संबंधी आजादी प्राप्त हुई. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो क सं वधान के प्रारूप स मति के अध्यक्ष व कर्ताधर्ता थे, वे स्त्रियों की पराधीनता की व जह और उसके परिणामों को गहनता से समझ रहे थे | डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्त्रियों को मनुवादी एवं पतृस त्तात्मक व्यवस्था से आजादी दिलाने के लए हिंदू कोड बिल की रचना की, जिसमें ऐसे कानूनी प्रावधान कए गए थे, जो स्त्रियों को सदियों से हो रहे शोषण, उत्पीड़न एवं दासत्व की स्थिति से निकाल कर एक समतावादी एवं सशक्तिक रण की ओर मार्ग प्रशस्त करता | आधुनिक व आजाद भारत में महिला सशक्तिकरण के लए यह प्रथम एवं सशक्त प्रयास था; परंतु सं वधान सभा के पतृसत्ता वादी एवं मनुवादी लोगों ने उस समय हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया, परंतु कुछ वर्षों पश्चात हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को अलग-अलग अ धनियम में तोड़कर अ धकांश प्रावधानों को कानूनी जामा पहनाया गया | उसका वशेष प्रभाव महिला सशक्तिकरण में आज हमको साफ साफ दृष्टिगोचर होता है |

महिला सशक्तिकरण एवं मानवा धकार : अवधारणात्मक पहलू

मानवा धकार का संबंध मानव के गरिमा एवं आत्म सम्मान से होता है | मानव अ धकार वह अ धकार है, जो मनुष्य के जीवन उसके अस्तित्व और उसके व्यक्तित्व वकास के लए अनिवार्य होते हैं | प्रमुख रूप से यह अ धकार व्यक्ति के प्राकृतिक अ धकार ही है , जो उन्हें प्रकृति द्वारा प्रदत्त कया गया है , जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर सकता है | उसके पास वकास की समता पूर्व संभावनाएं व अवसर प्राप्त होते हैं | मानवा धकार के बिना कसी भी व्यक्ति के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2,February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व वकास की कल्पना नहीं की जा सकती | कसी भी व्यक्ति के मानवा धकारों की रक्षा करना उससे संबं धत राज्य की जिम्मेदारी होती है |

महिला सशक्तिकरण एक अवधारणा एवं प्र क्रया दोनों है | महिला सशक्तिकरण का सं ध वच्छेद कर यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो इसका हमें बोध आसानी से हो जाता है ; अर्थात स्त्री सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ स्त्रियों के सामाजिक, राजनीतिक, आ र्थक, बौ द्धक, धा र्मक एवं सांस्कृतिक जीवन के समस्त पहलुओं में सशक्तता प्रदान करने की प्र क्रया से है | महिला सशक्तिकरण समस्त सामाजिक वज्ञान सहित राजनीति शास्त्र में भी एक ज्वलंत ए वं वचार वमर्श का मुद्दा लगातार बना रहा है | स्त्री सशक्तिकरण के अन्य पहलुओं के बारे में वषय वश्लेषण एवं व मर्श करने से पहले यह आवश्यक है क हम इसके अवधारणा को समझें | सशक्तिकरण व प्र क्रया है जिसमें कसी व्यक्ति या समूह के जीवन को प्रभा वत करने वाले कारकों पर उसका नियंत्रण एवं उसके संबंध में निर्णय करने की क्ष मता से हो सकता है | इसे महिला सशक्तिकरण से सम्बं धत करके इस प्रकार समझ सकते हैं क महिला के जीवन से संबं धत समस्त पहलुओं, उसके जीवन को प्रभा वत करने वाले व भन्न सामाजिक, आ र्थक, राजनीतिक कारकों एवं उसके जीवन के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता से है| संक्षेप में हम यह कह सकते हैं क महिलाओं को उनके अप ने जीवन के बारे में समस्त पहलुओं में स्वतंत्रता प्रदान करना एवं उनको समता पूर्ण अवसर प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण है जिसके फलस्वरूप वह अपने जीवन के समस्त पहलुओं का सर्व उन्मुख वकास करने में सक्षम हो स कें |

महिला सशक्तिकरण एक अवधारणा के रूप में नैरोबी के अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में परि चत कराया गया था | नैरोबी अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के अनुसार महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य स्त्रियों को पुरुषों के बराबर वैधानि क, राजनीतिक, शारीरिक, मान सक, सामाजिक एवं आ र्थक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय समाज एवं राष्ट्र की सां स्कृतिक पृष्ठभू म में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है. स्त्री सशक्तिकरण प्रत्येक स्त्री में जागरूकता राजनीतिक रूप से क्रयाशील आ र्थक रूप से उत्पादनशील तथा स्वतंत्र एवं उन को प्रभा वत करने वाले कारकों के संबंध में बौ द्धकता पूर्ण वमर्श करने की क्षमता पर बल देता है |

ऐतिहा सक पृष्ठभू म

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मनुस्मृति कालीन सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को अपने इच्छा एवं क्षमता से कुछ भी करने का अ धकार नहीं था और ना ही कसी प्रकार की निर्णय क्षमता एवं अ धकार उनको दी गई थी | समस्त शक्ति, स त्ता एवं उसके स्रोतों पर पुरुषों का वर्चस्व था एवं महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में मानकर पुरुषों के अधीन जीवन व्यतीत करने एवं उसके निर्देशों के आधार पर जीवन कार्यक्रमों का निर्धारण करने का प्रावधान था | इसके अलावा वै श्विक स्तर पर भी महिलाओं के अधीनीकरण एवं शोषण व उत्पीड़न के व भन्न स्वरूप मौजूद थे | अ धकांश समा जों में पतृसत्तात्मक व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना कायम थी | पूरी दुनिया में स्त्री सशक्तिकरण या स्त्रियों के वरुद्ध होने वाले उत्पीड़न के वरुद्ध आवाज उठाने का प्रथम श्रेय मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट को जाता है, जिन्होंने सन 1792

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2,February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ईस्वी में अपनी पुस्तक 'अ वंडीकेशन आफ राइट्स आफ वूमेन' में समस्त स्तर पर महिलाओं के लए समान अ ध कारों एवं अवश्य रो की मांग की थी | इन अ धकारों एवं अवसरों की मांग में मुख्यतः शक्षा का अ धकार एवं राजनी तिक अ धकार था. इसके अलावा समोन डी बोउआ, स्टूअर्ट मल, शुलभीत फायरस्टोन जैसे अनेक नारीवादी वचार कों ने नारियों को शोषण वादी सामाजिक व्यवस्था से निजात दिलाने तथा स्वतंत्रता एवं समानता स्था पत करने हेतु आवाज बुलंद की|

शुरुआती नारीवादी आंदोलन एवं वचारको की दृष्टि में महिलाओं को राजनीतिक अ धकार प्रमुखता से देने की बात की गई थी, क्यों क सभी वद्वान यह भली-
भांति समझ रहे थे क महिलाओं को शोषण वादी सामाजिक व्यवस्था से तभी निजात दी जा सकती है जब उनके पास शक्ति एवं सत्ता हो और यह राजनीतिक अ धकार प्राप्त होने से ही संभव हो सकता था | राजनीतिक अ धकार में मु ख्यतः एवं प्रथम रूप से मतदान का अ धकार, अपना जनप्रतिनि ध चुनने एवं स्वयं जनप्रतिनि ध के रूप में प्रत्याशी बनाने का अ धकार था | लक्ष्य बनाकर समता पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास कया गया |

स्त्री सशक्तिकरण के भारतीय संदर्भ में प्रयासों की छानबीन करें तो स्त्रियों के व भन्न सामाजिक समस्याओं के संद र्भ में सा वत्रीबाई फुले, ज्योति राव फूले, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र वद्यासागर, पं डता रमाबाई, मदर टेरेसा आ दि ने स्वतंत्रता के पूर्व स्त्री अधीनता को नकारने एवं उनके अ धकार दिलाने के लए व भन्न तरीकों एवं स्वरूपों में प्र यास कया | डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सं वधान रचते समय समतावादी एवं समानता वादी प्रावधानों के सृजन एवं महिला उत्पीड़न एवं शोषण से मुक्ति दिलाने एवं उनके अ धकार दिलाने के उद्देश्य से हिंदू कोड बिल की रचना की थी , बाद में व भन्न अ धनियमों के रूप में परि णत हुआ और महिला सशक्तिकरण की अभूतपूर्व योगदान दिया |

महिला सशक्तिकरण एवं मानवा धकार हेतु संवैधानिक प्रावधान

भारत में महिला सशक्तिकरण के लए संवैधानिक प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं | संवैधानिक प्रावधान द्वारा महिलाओं को कानूनी रूप से समता युक्त सामाजिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास कया गया है तथा शोष ण एवं उत्पीड़न से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त कया गया है | भारतीय सं वधान के व भन्न अनुच्छेदों में स्त्रियों के हित के लए निम्न प्रावधान कए गए हैं.....

- भारतीय सं वधान का अनुच्छेद 14 अपने सभी नागरिकों के समान ही स्त्रियों को भी कानून के समक्ष स मता का अ धकार देता है | यह अ धनियम महिलाओं को समान सत्ता, शक्ति एवं संसाधनों पर स्वा मत्व के अवसर का अ धकार प्रदान करता है |
- भारतीय सं वधान का अनुच्छेद 15 लंग के आधार पर कसी भी प्रकार के भेदभाव उत्पीड़न एवं शोषण को नि षद्ध करता है एवं इसे अपराध मानता है | अगर ऐसा व्यक्ति व्यक्ति करता है तो उसे कानून द्वारा स जा दी जाती है |

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2,February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- अनुच्छेद 16 समस्त भारतीय महिलाओं को पुरुषों के समान सरकारी नौकरियों में एवं अन्य लोक नियो जन में समान अवसर प्रदान करता है तथा समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रबंध करता है | ऐसा न करना कानूनन अपराध है |
- अनुच्छेद 19 के तहत महिलाओं को पुरुषों के समान अ भव्यक्ति की आजादी दी गई है तथा वह अपने मन से कहीं भी आ जा सकती हैं | इसके लए उन्हें पारम्परिक रूप से पतृसत्तात्मक नियंत्रण से अनुमति ले ने की आवश्यकता नहीं है |
- भारतीय सं वधान के अनुच्छेद 23 और 24 महिलाओं को बलात श्रम, शोषण, महिलाओं के क्रय वक्रय या तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है और ऐसे कार्यों को अपराध घो षत कर इसे नि षद्ध करता है |
- सं वधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 39 राज्यों को ऐसा निर्देश देता है क वह ऐसे नियम बनाए जो स्त्रियों के कल्याण हेतु कार्य करें एवं लंग के आधार पर कसी भी प्रकार के भेदभाव एवं शोषण व उत्पीड़न का उन्मू लन करें | यह जिम्मेदारी सरकार की होगी |
- महिलाओं को प्रसूति काल में एक मानवीय प्रकृति के आधार पर छु ी एवं सहायता प्रदान की जाती है य ह सु वधा अनुच्छेद 42 के तहत सु वधा प्रदान की गई है |
- सं वधान के 73वें सं वधान में संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 243 के द्वारा स्त्रियों के लए पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरपा लका व्यवस्था में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है |

महिला सशक्तिकरण हेतु अन्य अ धनियम एवं प्रावधान

भारतीय सं वधान द्वारा अपने व भन्न अनुच्छेदों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लए व भन्न प्रयास कए गए हैं , जिनका सकारात्मक प्रभाव हमें दृष्टिगोचर हो रहा है | साथ ही हिंदू कोड बिल को व भन्न पद नियमों में तो ड़कर पास कया गया, वह भी अपनी महत्वपूर्ण भू मका निभा रहे हैं और सरकार समय-
समय पर आवश्यकता अनुसार महिला कल्याण हेतु अनेक नीतियों का क्रयान्वयन करती है | महिला सशक्तिकरण के लए व भन्न अ धनियम निम्न ल खत है....

- ❖ सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी अ धनियम, कारखाना अ धनियम एवं 1952 में खान अ धनियम के तह त स्त्रियों को बिना भेदभाव के समान कार्य के लए समान मजदूरी देने का प्रावधान कया गया तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा के लए कार्य स्थल पर सुर क्षत वातावरण वक सत करने का प्रावधान कया गया |
- ❖ हिंदू ववाह अ धनियम 1955 के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को खत्म कर स्त्रियों को यौनिक दासता से मुक्त क राया गया तथा एक समय पर एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान कया गया | साथ ही इसके द्वारा म हिलाओं को ववाह वच्छेद का अ धकार दिया गया जो क पहले प्राप्त नहीं था और वह पूरे जीवन भर योनि क दासता में फंसी रहती थी |

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2,February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- हिंदू ववाह उत्तरा धकार अ धनियम 1956 के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान ही अ धकार दिया गया और साथ ही प्रावधान कया गया क यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है क वह अपने पता की संपत्ति को लेगी या नहीं |
- अनैतिक देह व्यापार अ धनियम 1956 के तहत स्त्रियों के यौनिक शोषण एवं उनके यौन को व्यवसाय ब नाकर तस्करी करना एवं उनके यौवन का कसी भी अन्य तरीके शोषण करना या व्यवसाय की तरह उपयोग करना एक संगीन अपराध माना गया तथा इसके लए सजा का प्रावधान कया गया |
- दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो महिलाओं के व भन्न प्रकार से शोषण , उत्पीड़न एवं अंततः मृत्यु तक का भी कारण बनती थी | इसे दहेज प्रथा अ धनियम 1961 के तहत समाप्त कर दिया गया, अर्थात इस अ ध नियम के पश्चात कसी भी प्रकार का दहेज लेना या देना दोनों अपराध घो षत कया गया |
- समान पारिश्र मक अ धनियम के तहत महिलाओं को पुरुषों के समान ही समान कार्य के लए समान वेत न की व्यवस्था की गई एवं भर्ती की प्र क्रया तथा अन्य सु वधाओं में कसी भी प्रकार के भेदभाव को नि षद्ध कया गया |
- घरेलू हिंसा अ धनियम 2005 के तहत घर या परिवार में महिलाओं पर होने वाले कसी भी प्रकार की हिं सा, उत्पीड़न, शोषण आदि से संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई | यह उत्पीड़न मान सक, शारीरिक, मौ खक, भावात्मक या यौन हिंसा हो सकती है |

उपर्युक्त अ धनियमो एवं प्रावधानों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संरक्षण एवं संरक्षा के लए राष्ट्रीय महि ला आयोग की स्थापना की गई है एवं समस्त सार्वजनिक संगठनों में महिला संरक्षण हेतु महिला प्रकोष्ठों का गठन कया गया है |

पतृसत्तात्मक अ भव्यक्ति में कमी एवं महिला सशक्तिकरण

सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पतृसत्तात्मक कठोर बंधनों में लगातार गरावट आ रही है तथा महिलाएं शक्षा की तरफ उन्मुख हो रही है | पतृसत्तात्मक अ भव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अ भव्यक्त न होकर अप्रत्यक्ष अ भव्य क्ति में बदल गई है और यह सूक्ष्म स्तरों पर कायम है | कानूनों, सु वधाओं एवं शोषण नि षद्ध करने वाले प्रावधानों के कारण समस्त सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में पुरुषों के समान महिलाओं को समान अ धकार एवं सु वधाएं मल रही हैं | सामाजिक परिवर्तन एवं वकास के दौर में धीरे-
धीरे सभी लोग यह समझने लगे हैं क समाज के वकास के लए महिला सशक्तिकरण अति आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है और बिना महिलाओं के वकास के एक स्वस्थ व वक सत समाज की स्थापना नहीं की जा सकती | महिला स शक्तिकरण वर्तमान समय में कसी भी समाज व राष्ट्र के वकास के लए पर्याय बन गया है | महिलाओं की बढ़ती हु ई स क्रयता के कारण आ र्थक व सामाजिक क्षेत्रों के साथ-
साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं लगातार वकास कर रही हैं | व भन्न निकायों एवं संगठनों में लगातार उनकी

प्रतिशतता बढ़ती जा रही है | यह उनके सशक्तिकरण को इं गत करता है | आ र्थक रूप से सशक्तता प्राप्त होने के कारण उनके सामाजिक एवं अन्य भू मकाओं में लगातार सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है |

निष्कर्ष

प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकास करने तथा स्वतंत्रता व स्वच्छंदता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के अ धका र समान रूप से प्रदान कए हैं | यह प्रकृति प्रदत्त अ धकार कोई भी समाज कसी भी व्यक्ति से नहीं छीन सकता, क्यों क यह मानवा धकार है | प्रस्तुत शोध पत्र में वषय वश्लेषण के पश्चात यही निष्कर्ष निकलता है क भारतीय समाज में स्त्रियों को दीर्घकाल से उत्पीड़न व शोषण का शकार होना पड़ा तथा पतृसत्ता इसके मूल में थी; परंतु स्वतं त्रता प्राप्ति के पश्चात तथा नए समता पूर्ण सं वधानिक प्रावधानों के सृजन के साथ स्त्रियों के दासता पूर्ण जीवन को भी समाप्त करने का प्रबंध कया गया | भारतीय सं वधान द्वारा व भन्न अनुच्छेदों तथा अ धनियम द्वारा स्त्रियों को वह समस्त अ धकार प्रदान कए गए, जिससे क वह अपना संपूर्ण वकास कर सके तथा उन्हें अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लए कसी दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े | समस्त अवसरों एवं संभावनाओं में उन्हें भी समता का कानूनी अ धकार दिया गया तथा उसे सामाजिक धरातल पर लागू करने का प्रयास कया जा रहा है | वर्तमान समय में महिलाओं को अ धकतम मसलों में समता एवं स्वतंत्रता का अ धकार प्राप्त हो गया है, परंतु महिला यौनिकता एवं सत्ता के क्षेत्र में महिलाओं की पराधीनता अभी भी परिल क्षत होती है, जिसके लए निरंतर सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर प्रयास चल रहे हैं | यह समस्त कार्य महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जा रही हैं | वर्तमान समाज एवं सरकार यह मानती हैं क महिलाओं को भी संपूर्ण मानव अ धकार मलना चाहिए और यह उनका प्राकृतिक अ धकार है |

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, मीनू (2013), वुमेन इम्पावरमेंट एण्ड जेंडर इक्वा लटी, नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स.
2. कौ शक, वी0के0, पुजारी, प्रेमलता (1994) वुमेन पावर इन इण्डिया, नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स.
3. कुमारी, मधु (2012) इम्पावरमेंट आफ वुमेन, नई दिल्ली: रैन्डम पब्लिकेशन.
4. निकोल, जी0आर0 ट्यू लश (2005) द रिलेशन शप बेटबीन वुमेन ए डेवलपमेंट इन केन्याण्ड, बर्घन बु क्स.
5. पाण्डेय, आर0 (2008) वुमेन वेलफेयर एण्ड एम्पावरमेंट, नई दिल्ली: नई सेन्चुरी पब्लिकेशन.
6. शमार्, प्रेमनारायण वनायक.
(2011) गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, लखनऊ: भारत बुक सेन्टर.
7. शाही, एस0पी0 (2014) वेलफेयर डेवलपमेंट आफ वुमेन, नई दिल्ली: सेन्टरम प्रेस.
8. शुगना, बी0. (2015) एम्पावरमेंट आफ रूरल वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्थ ग्रुप्स: डस्कवरी पब्लिकेशन,

9. मोक्ता, ममता (जुलाई- सतम्बर,
2014), एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इं डया: अ क्रटिकल एना ल सस, इं डयन जॉर्नल ऑफ पब्लिक एड मनि स्ट्रेशन, वॉल्यूम 60, न. 03, पेज न. 473-488.
10. शे र, डॉ. राजेश्वरी एम.
(अप्रैल 2013), अ स्टडी ऑन इश्यूज एंड चैलेंजेज ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन इं डया, जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, पेज न. 13-19.
11. भट, रउफ अहमद (2015), रोल ऑफ एजुकेशन इन द पउचंतउमद ऑफ वीमेन इन इं डया, जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, वॉल्यूम 6, न. 10, पेज न. 188-191.
12. हजारिका, धुबा(2011), वीमेन एम्पावरमेंट इन इं डया: अ ब्रीफ डस्कशन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजु केशनल प्लानिंग एंड एड मनिस्ट्रेशन, वॉल्यूम 1, न. 3, पेज न. 199-202.

डॉ0 मनीष कुमार
एम0 ए0, (गोल्ड मेड्लिस्ट)
नेट, पी0-एच0 डी0
स्माजशास्त्र विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना